



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.02.2024

- गौ-तस्करों के विरुद्ध कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही ।
- गौ-तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले 07 नफर अभियुक्तगण को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्तगण के कब्जे से 66 राशि गोवंशो को निर्दयतापूर्वक ले जाते समय बरामद किया गया ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति व अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाण्डेय के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में गौ-तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.02.2024 को थाना गजनेर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 66 राशि गोवंशों को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुये तस्करी हेतु ले जाते समय थाना गजनेर क्षेत्र के बिलसरायां से 07 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0-25/2024 धारा 5 ख उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 बनाम 1. खेता पुत्र स्व0 सीता राम निवासी ग्राम केवल नगर ग्राम पंचायत कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान 2. शंकर पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान 3. नाहर सिंह पुत्र स्व0 केशा निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान 4. महेन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान 5. गोलू पुत्र स्व0 गोप चन्द्र निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान 6. राजेन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान 7. शेर सिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त का 14 दिवस रिमाण्ड स्वीकृत कर जिला कारागार कानपुर देहात भेजा गया ।

बरामदगी-

1. 66 राशि गोवंश

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. खेता पुत्र स्व0 सीता राम निवासी ग्राम केवल नगर ग्राम पंचायत कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान ।
2. शंकर पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान ।
3. नाहर सिंह पुत्र स्व0 केशा निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान ।
4. महेन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना रामपुर जिला कोटा राजस्थान ।

5. गोलू पुत्र स्व० गोप चन्द्र निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान ।
6. राजेन्द्र पुत्र स्व मांगीलाल निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान ।
7. शेर सिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम कलम का कुआ थाना राजपुर जिला कोटा राजस्थान ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 0025 / 2024 धारा 5 ख उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना गजनेर कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री महेश कुमार
2. उ०नि० श्री राम सिंह
3. हे०का० 217 वीरेन्द्र पाल
4. का० 1118 सौरभ सिंह
5. का० 498 बोबी
6. का० 976 दीपक कुमार